प्रकरण 131, 136 RLR Act नम्बर 52 सन् 2026

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत धारा 131.136 राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावे। मिसल दिनांक 22/4/26 को पेश हो।

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (जि फलोदी)

आज श्री बलवन्त सिंह डी.एम साहब दौरे पर हैं।
पेशी [illegible] पत्रावली
तारीख 28/4/26 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बोथिया के जवाब/मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बराये तहसीलदार बोथिया के जवाब/मौका रिपोर्ट व अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 की तलबी हेतु 13/05/2026 को पेश हो।

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

05/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वाद को NOTE-PRESS किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की इस्तदुआ पर वाद वादीगण जरिये NOTE-PRESS खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Satya..
(राम [illegible] -I)
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)